झारखंड में कैसे हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ, हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची: बंगाल से सटे झारखंड के जिलों साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और दुमका आदि जिलों में लंबे समय से हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि किन परिस्थितियों में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अब तक क्या कार्रवाई की है। अदालत ने चार सप्ताह में जवाब

पूछा-गृह मंत्रालय ने अब तक क्या की कार्रवाई, झारखंड के जिलों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दायर की गई है याचिका

दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में 19 जून को होगी।

इस संबंध में डेनियल दानिश की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट को बताया गया कि झारखंड में संताल परगना प्रमंडल के कई जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं। उन जिलों में बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित षड्यंत्र के तहत घुसपैठ कर रहे हैं। इन इलाकों में घुसपैठिये झारखंड की आदिवासियों लड़कियों से लव जिहाद के तहत शादी करते हैं। इसके बाद संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से उनकी हत्या कर दी जाती है। पहले हिंदूबहुल रहे इलाकों में अवैध घुसपैठ की वजह से बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई है। इन इलाकों में व्यापक जनसांख्यिकीय बदलाव आ गया है। इन जिलों की जनसंख्या असंतुलित हो रही है। ऐसे लोगों का प्रतिबंधित संगठनों से भी संपर्क है। इस कारण ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं।